संख्या:96/2025/24बी0पी0/35-1-2025/35-1099/140/2024

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
कृषि विभाग,
उत्तर प्रदेश।

नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक: 22 मई,2025

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 में बुन्देलखण्ड पैकेज के अंतर्गत कृषि विभाग की परियोजना हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में शासनादेश संख्या-7/2025/02बीपी/35-1-2025/35-1099/140/2024 दिनांक 03 फरवरी, 2025 द्वारा कृषि विभाग की एकीकृत कृषि विकास योजना (सोलर फेंसिंग) से सम्बन्धित परियोजना की रू. 7453.00 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. 5000.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी, जिसके सापेक्ष विभाग द्वारा कोई धनराशि व्यय नहीं की गई तथा पूर्ण समर्पित कर दी गई।

2- कृषि निदेशक, उ0प्र0 के पत्र सं0-भू0सं0/अभि0/10/बुन्देलखण्ड पैकेज/2025-26, दिनांक 08 अप्रैल, 2025 द्वारा प्रश्नगत परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध के क्रम एतदद्वारा सम्बन्धित परियोजना हेतु रू. 4406.00 लाख (रूपये चौवालीस करोड़ छः लाख मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1. सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 03 फरवरी, 2025 की अन्य शर्तें यथावत लागू रहेंगी।
2. प्रशा0 विभाग द्वारा योजना के सम्बन्ध में पूर्व निर्गत दिशा-निर्देशों/भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. प्रशा0 विभाग द्वारा धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिन मदों के लिए वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा रही है।
4. परियोजनाओं के लिए स्वीकृत धनराशि को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया/राष्ट्रीयकृत बैंकों में ही रखा जाय और यदि धनराशि पर कोई ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।
5. प्रश्नगत कार्यों हेतु उपलब्ध हुई इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप समयबद्ध ढंग से विलम्बतम 30 जून, 2025 तक पूर्ण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे नियमानुसार समर्पित किया जायेगा।
6. पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही धनराशि का समर्पण किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जायेगा।
7. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2026 तक अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

8. स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय/ प्रगति सम्बन्धी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व कृषि विभाग का होगा। तदनुसार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की पूर्व निर्धारित प्रारूप पर सूचना प्रत्येक माह की 07 तारीख तक नियोजन विभाग को प्रेषित की जायेगी।
9. वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए स्वीकृत लेखानुदान के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक: 27 मार्च, 2025 में उल्लिखित शर्तो एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रू. 44,06,00,000/- (रूपये चौवालीस करोड़ छः लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट के **अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्ष-2575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम-02-पिछड़े क्षेत्र-800-अन्य व्यय-04-बुन्देलखण्ड की विशेष योजनाएं-03-बुन्देलखण्ड एकीकृत कृषि विकास योजना (सोलर फेंसिंग)-(के.100/रा.0-के.)-42 अन्य व्यय** के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राजेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

संख्या:96/2025/24बी0पी0(1)/35-1-2025/35-1099/140/2024 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव/ सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
6. मण्डलायुक्त, झांसी/चित्रकूटधाम।
7. जिलाधिकारी, झांसी/बांदा/ललितपुर/जालौन/महोबा/चित्रकूट/हमीरपुर।
8. मुख्य विकास अधिकारी, झांसी/बांदा/ललितपुर/जालौन/महोबा/चित्रकूट/हमीरपुर।
9. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, झांसी/बांदा/ललितपुर/जालौन/महोबा/चित्रकूट/ हमीरपुर।
10. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ।
11. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
12. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, झांसी/बांदा/ललितपुर/जालौन/महोबा/चित्रकूट/हमीरपुर।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।